न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाष विष्नोई, आर.ए.एस.

2023-261RAAJodhpur2023-140RTA223 Mahipalsingh Vs Kheemsingh etc

महिपालसिंह पुत्र श्री नरपत सिंह जाति–राजपूत निवासी–भाटियों की ढाणी, कागनाडा तहसील लूणी जिला जोधपुर

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. खीमसिंह पुत्र श्री उगमसिंह, जाति भाटी राजपूत, निवासी रोहिचा खुर्द तहसील लूणी जिला जोधपुर, वर्तमान ज्ञात पता–ग्राम चोटिला, तहसील रोहट जिला पाली। **(वादी)**
02. नरपतसिह पुत्र श्री मोडसिंह जाति राजपूत, निवासीगण–भाटियों की ढाणी, कागनाडा तहसील लूणी जिला जोधपुर।
03. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 जनवरी 2023 सहायक कलक्टर लूणी राजस्व मूल वाद संख्या 62/2019 खीमसिंह बनाम नरपतसिंह इत्यादि

उपस्थित–

श्री ओंकारसिंह, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री हनुमान प्रजापत, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
श्री किषोरसिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 3

नि र्ण य

दिनांक : 01 मई 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर लूणी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 62/2019 अनवान खीमसिंह बनाम नरपतसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 जनवरी 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 04 अगस्त 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी ग्राम रोहिचा खुर्द, तहसील लूणी के

खेत खसरा नम्बर 16/2 रकबा 33 बीघा, खसरा नंबर 16/1 रकबा 08 बीघा के संबंध धारा 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11 जनवरी 2023 को वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर दिये गये, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। वास्तविकता में अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या–2 को ऐसा कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ, न ही इसके प्रमाण स्वरूप पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज मौजूद है। विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका में सम्मन तामिल, सम्मन पेश करने, सम्मन जारी करने इत्यादि का कोई इन्दाज ही किया हुआ है तथा न ही रजिस्टर्ड डाक से सम्मन तामिल का कोई इन्द्राज या दस्तावेज ही पत्रावली पर मौजूद है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण कार्यवाही न्यायिक प्रक्रिया की पूर्ण पालना किये बिना की गई होने से आलौच्य निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकियात कायम किये बगैर ही निर्णय पारित किया है, जबकि विवाद बिन्दु कायम किये बगैर निर्णय नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अलग से पर्चा डिक्री जारी नहीं किया गया ताा न ही अलग से निर्णय पारित किया गया है तथा बिना घोषणा के बंटवाडा का आदेश पारित किया है, जबकि बंटवाडा सभी पक्षकारों को सुने बिना उनके हिस्से तय किये बिना व पर्चा डिक्री जारी किये बिना पारित नहीं किया जा सकता है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि सभी पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् पूर्ण विधिक प्रक्रिया के तहत निर्णय पारित किया जाना चाहिये। मौजूदा प्रकरण में बिना विधिवत् तामिल की प्रक्रिया अपनाये आलौच्य निर्णय व डिक्री पारित किये गये है. जो अपास्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आलौच्य निर्णय व डिक्री अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही तथा बिना नोटिस तामिल करवाये लोक अदालत केम्प में पारित

किया गया है, जिस कारण अपीलार्थी को प्रकरण में सुनवाई व जवाब का अवसर नहीं मिल सका एवं अपीलार्थी को आलौच्य निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी। हाल ही में जब अपीलार्थी अपने खेत में गया हुआ था, तब प्रत्यर्थी संख्या 1 पटवारी के साथ मौके पर आया तथा बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करने हेतु नोटिस दिया, तब अपीलार्थी लूणी आया तथा पता किया तो पता चला कि प्रत्यर्थी संख्या–1 ने गलत पते पर नोटिस प्रेषित कर अपीलांट की तामील करवायी गई है तथा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जा चुका है। जिस पर अधिवक्ता द्वारा नकल हेतु दिनांक 02.08.2023 को आवेदन किया, जो नकले तैयार होकर दिनाक 03.08.2023 को प्राप्त हुई, जिसको पढ कर सुनाया गया तो अपीलार्थी को आलौच्य निर्णय की जानकारी हुई। अपीलार्थी द्वारा जानबूझ कर अपील को प्रस्तुत करने में देरी नहीं की गई है तथा न ही किसी अनुचित लाभ हेतु अपील प्रस्तुत में देरी की गई।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लूणी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 62/2019 अनवान खीमसिंह बनाम नरपतसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 जनवरी 2023 को खारिज फरमाया जावे एवं अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने एवं मामला विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के बावजूद भी वह सुनवाई हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, तब विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमाबंदी में पक्षकारान् के दर्ज हक–हिस्से अनुसार ही निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है। अपीलांट के हिस्से मे किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है। मामले में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होना है। अपीलांट के पास विचारण न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरामायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब का प्रष्न है। मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के अवलोकन पर प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 16/2 रकबा 33 बीघा एवं खसरा नंबर 16/1 रकबा 8 बीघा ग्राम रोहिचा खुर्द में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक–हिस्सेनुसार बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने हेतु तहसीलदार लूणी को निर्देष दिये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के हक–हिस्से में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है तथा न ही अपीलांट द्वारा हक–हिस्से में परिवर्तन का कोई उज्र उठाया गया है। गुणावगुण पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पायी जाती है। लिहाजा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लूणी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 62/2019 अनवान खीमसिंह बनाम नरपतसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 जनवरी 2023 यथावत रखे जाते है। साथ ही तहसीलदार लूणी को निर्देषित किया जाता है कि वह राजस्थान काष्तकारी से अधिनियम(राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में स्वयं मौके पर जाकर उभय पक्ष को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति सुनिष्चित करते हुए नये सिरे से बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय को प्रेषित करे। विचारण न्यायालय विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान

करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाष विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर